

17. शीतलता के कारण पदों पर चलने में कठिनाई का निधि (क) कम हो जाता है। (ख) बढ़ जाता है। (ग) बढ़ जाता है। (घ) बढ़ जाता है।
निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए।
क) कम हो जाता है। (ख) बढ़ जाता है। (ग) बढ़ जाता है। (घ) बढ़ जाता है।

(iii) कार्य अर्वाधि पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी सदस्य/सदस्यों का पुनर्मानयन किया जा सकता।

(iv) उपाध्यक्ष/सदस्यों की अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी।

(v) उपाध्यक्ष का वेतनमान एवं भत्ता राज्य सरकार के मंत्री को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते, चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा एवं अनुमान्य आवास के समतुल्य होगा। अध्यक्ष द्वारा मनोनित अन्य पदस्थ का वेतन-भत्ता राज्य सरकार के मंत्री को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा-भत्ता एवं अनुमान्य आवास के समतुल्य होगा। परन्तु यदि ये उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के दौरान में कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो उनके वेतन में से उक्त पेंशन के रकम को घटा कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जहाँ उपाध्यक्ष/सदस्य अपने नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिकारिण या राज्य अधिकारिण द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है वहाँ उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उपरोक्त पेंशन की रकम घटा कर दी जाएगी। परन्तु यह और कि उपाध्यक्ष/सदस्य के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलापकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

5. निरहंता— ऐसा कोई व्यक्ति राज्य प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा जो —

- (क) न्यायनिर्णित दिवालिया है या किसी समय रहा है; या
- (ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है; या
- (ग) सदस्य के रूप में कार्य करने से असमर्थ हो गया है; या
- (घ) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है या किया गया है जिसमें राज्य सरकार को तब में नैतिक अधमता अंतर्बलित है; या

(ङ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटाया या पदच्युत किया जाता है अथवा हटा दिया गया या पदच्युत कर दिया गया है।

6. त्यागपत्र— बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कोई सदस्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के पद से त्यागपत्र बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आशय की अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना देकर दे सकता और ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तिथि को ऐसी सूचना राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की जाती है।

7. रिक्तियाँ— जहाँ राज्य प्राधिकरण के सदस्य के पद पर त्यागपत्र, निरहता, मृत्यु या अन्य कारण से कोई रिक्ति होती है तो उक्त रिक्ति नए मनोनयन द्वारा भरी जाएगी।

8. प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधाएँ— अगदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 16 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग को अधिसूचना संख्या 3449, दिनांक 6 नवम्बर 2007 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों के संचालन हेतु पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का रुजन तथा सहन इत्यादि की व्यवस्था की निरूपण किया जा चुका है जो प्राधिकरण के अधीन कार्यरत रहे।

9. राज्य प्राधिकरण द्वारा गठित सलाहकार समिति के सदस्य को संदत्त किए जाने वाले भत्ते— अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित सलाहकार समिति के सदस्यों को ऐसे यात्रा-भत्ते, दैनिक-भत्ता और परिवहन-भत्ता का संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण मोहन,

सरकार के उप-सचिव।

The 2nd June 2008

No. 1 Pra aa-11/2006 -1306/Aa pra- In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the State Government of Bihar hereby makes the following rules regarding Pay and allowances and Service Conditions of the Members to be nominated for the Bihar State Disaster Management Authority, namely:—

1. *Short title and commencement*— (1) These rules may be called the Disaster Management Authority Office and Conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances

Act, 2005 (53 of 2005) and may be called the Disaster Management